



पत्रांक - 1115
सेवा में,

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड-31,

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद
आफिस काम्पलेक्स, चतुर्थ तल, वृन्दावन योजना लखनऊ।

E-mail : eecd31.2013@gmail.com



दिनांक 09/08/17

में 0 एस0पी एण्ड कम्पनी
148 ए, पनकी रोड,
कल्याणपुर, कानपुर नगर।

वृन्दावन योजना संख्या-4 लखनऊ के सेक्टर-13 में 64 नग दुर्बल आय वर्ग (जी0+3) प्रकार के भवनों के

विषय: निर्माण कार्य (ग्रुप-E.E.) की निविदा स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपको सूचित करना है कि उक्त कार्य हेतु आप द्वारा दिनांक 21.06.17 को डाली गयी निविदा के क्रम में अधीक्षण अभियन्ता (प्रो0) के पत्र सं0-207/सी0ई0कैम्प/निविदा/195 (डी) दिनांक 31.07.2017 द्वारा निविदा की बी0ओ0क्व्यू0 में अंकित दरों में 4.00 प्रतिशत वैट कम करके 5.25 % अधिक, जिसके अनुसार कार्य की लागत रू0 43002657.00 (रू0 चार करोड़ तीस लाख दो हजार छ सौ सत्तावन मात्र) आती है, स्वीकृत कर दी गयी है। स्वीकृत दरों में शासन द्वारा निर्धारित लेबर सेस एवं जी0एस0टी0 को छोड़कर अन्य समस्त कर सम्मिलित हैं। कृपया पत्र निर्गत होने की तिथि से 07 दिन के अन्दर निम्न कार्यवाही पूर्ण करते हुए अनुबन्ध पर हस्ताक्षर करने का कष्ट करें:-

1. फर्म के स्वामित्व सम्बन्धी प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति, फोटो व हस्ताक्षर। यदि फर्म साझेदारी में है तो पार्टनरशिप डीड की प्रमाणित प्रति तथा फर्म द्वारा अधिकृत व्यक्ति का प्रमाणित फोटो एवं हस्ताक्षर।
2. अनुबन्ध की लागत रू0 43002657.00 का 10% रू0 4300300.00 में से निविदा में संलग्न धरोहर धनराशि रू0 851000.00 घटाकर शेष धनराशि रू0 3449300.00 की एक0डी0आर0/सी0डी0आर0/ एन0एस0सी0, जो किसी राष्ट्रीयकृत बैंक अथवा डाकघर से निर्गत हो तथा अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड-31, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ के पक्ष में बन्धक होनी चाहिए, जमानत धनराशि के रूप में जमा करें।
3. प्रत्येक रनिंग/फाइनल बिल के साथ ठेकेदार द्वारा प्रयुक्त सामग्री की खपत की गयी मात्रा एवं नियमानुसार देय रायल्टी की सूचना दी जायेगी। ठेकेदार द्वारा वैध खनन एम0एम0-11 एवं जमा रायल्टी की चालान (प्रमाणित प्रति) प्रस्तुत करने पर रायल्टी की कटौती नहीं की जायेगी।
4. अनुबन्ध हेतु रू0 100.00 के नान जुडीशियल स्टाम्प पेपर पर अंकित अनुबन्ध पत्र तथा उपयुक्त स्टाम्प पेपर पर नोटरी द्वारा प्रमाणित शपथ पत्र कि यदि स्टाम्प पेपर के सम्बन्ध में शासन/परिषद अथवा अन्य संस्था द्वारा आपत्ति की जाती है तो नियमानुसार अतिरिक्त स्टाम्प पेपर एवं आरोपित दण्ड जमा कर देंगे।
5. जी0एस0टी0 पंजीकरण की प्रति प्रस्तुत करें।
6. अनुबन्ध गठन के पश्चात शासनादेश के अनुसार ठेकेदार द्वारा उक्त कार्य का श्रम विभाग में पंजीकरण कराना होगा।
7. अनुबन्ध गठित होने के उपरान्त भी यदि यह संज्ञान में आता है कि सम्बन्धित फर्म/निविदादाता सक्रिय रूप से माफिया गतिविधियों/असामाजिक कार्यों में एवं संगठित आपराधिक गतिविधियों में लिप्त है तो अनुबन्ध निरस्त कर दिया जायेगा।

उपर्युक्त कार्यवाही निर्धारित समय के अन्दर सम्पन्न न करने की दशा में जमा धरोहर धनराशि जब्त करते हुए प्रशंगत स्वीकृति निरस्त कर दी जाएगी, जिसकी पूर्ण जिम्मेदारी आपकी होगी।

पु0सं0: 1115
प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

/उक्त/416

दिनांक : 09/08/17

अधिशासी अभियन्ता

1. अधीक्षण अभियन्ता प्रथम वृत्त (शि0का0), उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, पंचम तल, वृन्दावन योजना, लखनऊ।
2. सहायक अभियन्ता-प्रथम, निर्माण खण्ड-31, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ।
3. सहायक लेखाधिकारी/लेखाकार, निर्माण खण्ड-31, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ।
4. अनुबन्ध हेतु।